रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1993/अग्रहायण 24, 1915
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1993/AGRAHAYANA 24, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1993

सा.का.नि. 754(अ)—दिल्ली नगर निगम अपीलीय न्यायाधिकरण (पीठासीन अधिकारी) सेवा-शर्तें नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957(1957 का 66) की धारा 347 क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सम्पूर्ण दिल्ली के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 343 अथवा धारा 347-ख के अधीन की गई अपीलों का निर्णय करने के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करती है और श्री ओ. पी. द्विवेदी को उक्त न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं यू-14016/3/92-दिल्ली]
राजीव रत्न शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

.. New Delhi, the 15th December, 1993

G.S.R. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Municipal Corporation Appellate Tribunal (Presiding Officer) conditions of Services Rules, 1986, the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under section 343 or section 347B of the said Act in respect of the whole of Delhi and appoints Shri O. P. Dwivedi as the Presiding Officer of the said Tribunal.

[F. No. U. 14016|3|92-Delhi]

RAJEEVA R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publication, Delhi-110054, 1993.